

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222178
SG-DL-E-01102020-222178

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 145
No. 199]	DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942	[N. C. T. D. No. 145

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उद्योग विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 सितंबर, 2020

सं. फा. 1 (एमएसएमई)/01/2019/पार्ट फाइल/3120.—सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (पी) के साथ पठित धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विभाग की अधिसूचना संख्या एसीआई/एमएसएमई/सीआई/2/2010/1241-46 दिनांक 25 जुलाई, 2012 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रत्येक राजस्व जिले में निम्नलिखित सदस्यों वाली “एवं और लघु उद्योग सुविधा परिषद (एमएसईएफसी)” का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: —

क्र० सं०	जिले का नाम	अध्यक्ष	सदस्य
1	उत्तर	जिला राजस्व समाहर्ता / जिला मजिस्ट्रेट	1. उपायुक्त, उद्योग / सहायक उपायुक्त उद्योग / ग्रेड-1, उद्योग विभाग 2. विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, / संबंधित जिला के डीएसएलएसए (दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) का प्रतिनिधि 3. प्रमुख बैंक के महाप्रबंधक या संबंधित जिले के राष्ट्रीयकृत बैंक के आंचलिक शाखा प्रबंधक के रूप में उनका अधिकृत प्रतिनिधि 4. औद्योगिक / क्षेत्र के एमएसएमई ईकाइयों के व्यापारी संघ के सदस्य
2	पूर्व	जिला राजस्व समाहर्ता / जिला मजिस्ट्रेट	1. उपायुक्त, उद्योग / सहायक उपायुक्त उद्योग / ग्रेड-1, उद्योग विभाग 2. विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, / संबंधित जिला के डीएसएलएसए (दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) का प्रतिनिधि 3. प्रमुख बैंक के महाप्रबंधक या संबंधित जिले के राष्ट्रीयकृत बैंक के आंचलिक शाखा प्रबंधक के रूप में उनका अधिकृत प्रतिनिधि 4. औद्योगिक / क्षेत्र के एमएसएमई ईकाइयों के व्यापारी संघ के सदस्य
3	पश्चिम	जिला राजस्व समाहर्ता / जिला मजिस्ट्रेट	1. उपायुक्त, उद्योग / सहायक उपायुक्त उद्योग / ग्रेड-1, उद्योग विभाग 2. विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, / संबंधित जिला के डीएसएलएसए (दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) का प्रतिनिधि 3. प्रमुख बैंक के महाप्रबंधक या संबंधित जिले के राष्ट्रीयकृत बैंक के आंचलिक शाखा प्रबंधक के रूप में उनका अधिकृत प्रतिनिधि 4. औद्योगिक / क्षेत्र के एमएसएमई ईकाइयों के व्यापारी संघ के सदस्य
4	दक्षिण	जिला राजस्व समाहर्ता / जिला मजिस्ट्रेट	1. उपायुक्त, उद्योग / सहायक उपायुक्त उद्योग / ग्रेड-1, उद्योग विभाग

			2. विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, / संबंधित जिला के डीएसएलएसए (दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) का प्रतिनिधि 3. प्रमुख बैंक के महाप्रबंधक या संबंधित जिले के राष्ट्रीयकृत बैंक के आंचलिक शाखा प्रबंधक के रूप में उनका अधिकृत प्रतिनिधि 4. औद्योगिक/क्षेत्र के एमएसएमई ईकाइयों के व्यापारी संघ के सदस्य
5	दक्षिण पश्चिम	जिला राजस्व समाहर्ता / जिला मजिस्ट्रेट	1. उपायुक्त, उद्योग / सहायक उपायुक्त उद्योग / ग्रेड-1, उद्योग विभाग 2. विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, / संबंधित जिला के डीएसएलएसए (दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) का प्रतिनिधि 3. प्रमुख बैंक के महाप्रबंधक या संबंधित जिले के राष्ट्रीयकृत बैंक के आंचलिक शाखा प्रबंधक के रूप में उनका अधिकृत प्रतिनिधि 4. औद्योगिक/क्षेत्र के एमएसएमई ईकाइयों के व्यापारी संघ के सदस्य
6	उत्तर पश्चिम	जिला राजस्व समाहर्ता / जिला मजिस्ट्रेट	1. उपायुक्त, उद्योग / सहायक उपायुक्त उद्योग / ग्रेड-1, उद्योग विभाग 2. विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, / संबंधित जिला के डीएसएलएसए (दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) का प्रतिनिधि 3. प्रमुख बैंक के महाप्रबंधक या संबंधित जिले के राष्ट्रीयकृत बैंक के आंचलिक शाखा प्रबंधक के रूप में उनका अधिकृत प्रतिनिधि 4. औद्योगिक/क्षेत्र के एमएसएमई ईकाइयों के व्यापारी संघ के सदस्य
7	उत्तर पूर्व	जिला राजस्व समाहर्ता / जिला मजिस्ट्रेट	1. उपायुक्त, उद्योग / सहायक उपायुक्त उद्योग / ग्रेड-1, उद्योग विभाग 2. विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, / संबंधित जिला के डीएसएलएसए (दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) का प्रतिनिधि

			3. प्रमुख बैंक के महाप्रबंधक या संबंधित जिले के राष्ट्रीयकृत बैंक के आंचलिक शाखा प्रबंधक के रूप में उनका अधिकृत प्रतिनिधि 4. औद्योगिक/क्षेत्र के एमएसएमई ईकाइयों के व्यापारी संघ के सदस्य
8	दक्षिण पूर्व	जिला राजस्व समाहर्ता / जिला मजिस्ट्रेट	1. उपायुक्त, उद्योग/सहायक उपायुक्त उद्योग/ग्रेड-1, उद्योग विभाग 2. विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, / संबंधित जिला के डीएसएलएसए (दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) का प्रतिनिधि 3. प्रमुख बैंक के महाप्रबंधक या संबंधित जिले के राष्ट्रीयकृत बैंक के आंचलिक शाखा प्रबंधक के रूप में उनका अधिकृत प्रतिनिधि 4. औद्योगिक/क्षेत्र के एमएसएमई ईकाइयों के व्यापारी संघ के सदस्य
9	शाहदरा	जिला राजस्व समाहर्ता / जिला मजिस्ट्रेट	1. उपायुक्त, उद्योग/सहायक उपायुक्त उद्योग/ग्रेड-1, उद्योग विभाग 2. विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, / संबंधित जिला के डीएसएलएसए (दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) का प्रतिनिधि 3. प्रमुख बैंक के महाप्रबंधक या संबंधित जिले के राष्ट्रीयकृत बैंक के आंचलिक शाखा प्रबंधक के रूप में उनका अधिकृत प्रतिनिधि 4. औद्योगिक/क्षेत्र के एमएसएमई ईकाइयों के व्यापारी संघ के सदस्य
10	नई दिल्ली	जिला राजस्व समाहर्ता / जिला मजिस्ट्रेट	1. उपायुक्त, उद्योग/सहायक उपायुक्त उद्योग/ग्रेड-1, उद्योग विभाग 2. विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, / संबंधित जिला के डीएसएलएसए (दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) का प्रतिनिधि 3. प्रमुख बैंक के महाप्रबंधक या संबंधित जिले के राष्ट्रीयकृत बैंक के आंचलिक शाखा प्रबंधक के रूप में उनका अधिकृत प्रतिनिधि 4. औद्योगिक/क्षेत्र के एमएसएमई ईकाइयों के व्यापारी संघ के सदस्य

11	मध्य	जिला राजस्व समाहर्ता / जिला मजिस्ट्रेट	1. उपायुक्त, उद्योग / सहायक उपायुक्त उद्योग / ग्रेड-1, उद्योग विभाग 2. विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, / संबंधित जिला के डीएसएलएसए (दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) का प्रतिनिधि 3. प्रमुख बैंक के महाप्रबंधक या संबंधित जिले के राष्ट्रीयकृत बैंक के आंचलिक शाखा प्रबंधक के रूप में उनका अधिकृत प्रतिनिधि 4. औद्योगिक / क्षेत्र के एमएसएमई ईकाइयों के व्यापारी संघ के सदस्य
----	------	---	--

2. कॉलम संख्या 4 के क्रम संख्या पर उल्लिखित औद्योगिक / व्यापारी संघ का सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

3. संबंधित राजस्व जिले के एसडीएम (मुख्यालय) सुविधा के लिए आवेदनों के समय पर निपटान के लिए नियमित रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद की बैठकें कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. संबंधित परिषद को अपने राजस्व जिले के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित आपूर्तिकर्ता और भारत में कहीं भी स्थित खरीदार के बीच विवाद में मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

5. सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद के सदस्यों के लिए पदनाम द्वारा नामांकित किया जा रहा है, कार्यालय छोड़ने वाले सदस्यों के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति को उनके उत्तराधिकारी द्वारा कार्यालय में स्वतः रूप से भरा समझा जाएगा।

6. जिला स्तरीय एमएसएमई सुविधा परिषद निम्नलिखित कार्य करेगी।

(i) उपरोक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के तहत प्राप्त संदर्भ पद विचार करना, आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए या आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए खरीदार से किसी भी राशि के संबंध में, मध्यस्थता कार्यवाही करना, एमएसएमई अधिनियम, 2006 और उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों के प्रवधानों के अनुसरण में अधिनिर्णय पारित करना।

(ii) प्राप्त संदर्भों पर 90 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय करना।

(iii) अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी एमएसईएफसी की बैठकों की कार्रवाई और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को अपर सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई) भारत सरकार को बैठकों अग्रसारित करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर

अमन गुप्ता, विशेष आयुक्त (उद्योग)

INDUSTRIES DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 30th September, 2020

No. F. No. 1(MSME)/01/2019/Pt. File/3120.—In exercise of the powers conferred by section 20 read with clause (P) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006 and in supersession of Department's notification No. ACI/MSME/CI/2/2010/1241-46 dated the 25th July, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute the "Micro and Small Enterprise Facilitation Council (MSEFC)" in each Revenue District of National Capital Territory of Delhi for the purpose of the said Act consisting of the following members, namely: -

Sl. No.	Name of the District	Chairperson	Members
1	2	3	4
1	North	District Revenue Collector/ District Magistrate	1. Dy. Commissioner of Industries/ ACI/Grade-I of the Industries Department 2. Representative of Law Department GNCTD/Representative of DSLSA (Delhi State Legal Service Authority) of concerned District 3. General Manager of Lead Bank or his authorized representative as Zonal Branch Manager of Nationalised Bank of the concerned District 4. Member from the Industrial/Trader Association of MSME Units of the area.
2	East	District Revenue Collector/ District Magistrate	1. Dy. Commissioner of Industries/ ACI/Grade-I of the Industries Department 2. Representative of Law Department GNCTD/Representative of DSLSA (Delhi State Legal Service Authority) of concerned District 3. General Manager of Lead Bank or his authorized representative as Zonal Branch Manager of Nationalised Bank of the concerned District 4. Member from the Industrial/Trader Association of MSME Units of the area.
3	West	District Revenue Collector/ District Magistrate	1. Dy. Commissioner of Industries/ ACI/Grade-I of the Industries Department 2. Representative of Law Department GNCTD/Representative of DSLSA (Delhi State Legal Service Authority) of concerned District 3. General Manager of Lead Bank or his authorized representative as Zonal Branch Manager of Nationalised Bank of the concerned District 4. Member from the Industrial/Trader Association of MSME Units of the area.
4	South	District Revenue Collector/ District Magistrate	1. Dy. Commissioner of Industries/ ACI/Grade-I of the Industries Department 2. Representative of Law Department GNCTD/Representative of DSLSA (Delhi State Legal Service Authority) of concerned District 3. General Manager of Lead Bank or his authorized representative as Zonal Branch Manager of

			Nationalised Bank of the concerned District. 4. Member from the Industrial/Trader Association of MSME Units of the area.
5	South West	District Revenue Collector/ District Magistrate	1. Dy. Commissioner of Industries/ ACI/Grade-I of the Industries Department 2. Representative of Law Department GNCTD/Representative of DSLSA (Delhi State Legal Service Authority) of concerned District 3. General Manager of Lead Bank or his authorized representative as Zonal Branch Manager of Nationalised Bank of the concerned District. 4. Member from the Industrial/Trader Association of MSME Units of the area.
6	North West	District Revenue Collector/ District Magistrate	1. Dy. Commissioner of Industries/ ACI/Grade-I of the Industries Department 2. Representative of Law Department GNCTD/Representative of DSLSA (Delhi State Legal Service Authority) of concerned District 3. General Manager of Lead Bank or his authorized representative as Zonal Branch Manager of Nationalised Bank of the concerned District. 4. Member from the Industrial/Trader Association of MSME Units of the area.
7	North East	District Revenue Collector/ District Magistrate	1. Dy. Commissioner of Industries/ ACI/Grade-I of the Industries Department 2. Representative of Law Department GNCTD/Representative of DSLSA (Delhi State Legal Service Authority) of concerned District 3. General Manager of Lead Bank or his authorized representative as Zonal Branch Manager of Nationalised Bank of the concerned District. 4. Member from the Industrial/Trader Association of MSME Units of the area.
8	South East	District Revenue Collector/ District Magistrate	1. Dy. Commissioner of Industries/ ACI/Grade-I of the Industries Department 2. Representative of Law Department GNCTD/Representative of DSLSA (Delhi State Legal Service Authority) of concerned District 3. General Manager of Lead Bank or his authorized representative as Zonal Branch Manager of Nationalised Bank of the concerned District. 4. Member from the Industrial/Trader Association of MSME Units of the area.
9	Shahdara	District Revenue Collector/ District Magistrate	1. Dy. Commissioner of Industries/ ACI/Grade-I of the Industries Department 2. Representative of Law Department GNCTD/Representative of DSLSA (Delhi State Legal Service Authority) of concerned District 3. General Manager of Lead Bank or his authorized representative as Zonal Branch Manager of Nationalised Bank of the concerned District. 4. Member from the Industrial/Trader Association of MSME Units of the area.
10	New Delhi	District Revenue	1. Dy. Commissioner of Industries/ ACI/Grade-I of the

		Collector/ District Magistrate	Industries Department 2. Representative of Law Department GNCTD/Representative of DSLSA (Delhi State Legal Service Authority) of concerned District 3. General Manager of Lead Bank or his authorized representative as Zonal Branch Manager of Nationalised Bank of the concerned District. 4. Member from the Industrial/Trader Association of MSME Units of the area.
11	Central	District Revenue Collector/ District Magistrate	1. Dy. Commissioner of Industries/ ACI/Grade-I of the Industries Department 2. Representative of Law Department GNCTD/Representative of DSLSA (Delhi State Legal Service Authority) of concerned District 3. General Manager of Lead Bank or his authorized representative as Zonal Branch Manager of Nationalised Bank of the concerned District. 4. Member from the Industrial/Trader Association of MSME Units of the area.

2. Member of Industrial/Trader Association mentioned at serial no. 4 of column number 4, shall be nominated by the State Government.

3. SDM (HQ) of the respective Revenue District shall be responsible for getting the meetings of Micro and Small Enterprise Facilitation Council convened on regular basis for timely disposal of the applications for facilitation.

4. The respective Council shall have jurisdiction to act as an Arbitrator or Conciliator in a dispute between the supplier located within the jurisdiction of its Revenue District and a buyer located anywhere in India.

5. For the Members of Micro and Small Enterprise Facilitation Council being nominated by designation, the vacancy arising on account of members leaving the office would be treated as filled up automatically by their successor-in-office.

6. The District Level MSME Facilitation Council shall exercise the following functions.

- i. To entertain reference received under sub-section (1) of Section 18 of the aforesaid Act, with regard to any amount due from the buyer for the goods supplied or services rendered by the supplier, to conduct arbitration proceedings, to pass award in accordance with the provisions of MSME Act, 2006 and Rules notified by the Industries Department.
- ii. To decide references received by it within a period of 90 days from making of such reference.
- iii. The Chairperson or any other officer authorised by him shall forward the proceedings of the meetings and Annual Progress Report of MSEFC to Additional Secretary and Development Commissioner (MSME), Government of India.

By Order and in the Name of the Lt. Governor,
National Capital Territory of Delhi,
AMAN GUPTA, Spl. Commissioner (Industries)